(359/1)

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0

7/23, सेक्टर–7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ–226027
Website-sudaup.org

पत्रांक : 9036/28/76/एक/2018–19 दिनांक 04 जनवरी 2019

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद–देवरिया।

विषय : मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में आपके जनपद को मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत (अनुदान संख्या–37/83) में शासन द्वारा स्वीकृत की गई निम्न परियोजनाओं की प्रथम किश्त की धनराशि निम्नलिखित विवरण के अनुसार अवमुक्त की जा रही है:–

धनराशि का प्रेषण (लाख रू0 में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
यूनियन बैंक आफ इण्डिया	371302010148484	IFSC Code UBIN0537136	271.000

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0सं0	जनपद का नाम	अनुदान संख्या	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण (प्रथम किश्त)
1	देवरिया	म0ब0–83	न0पा0प0 गौरा बाजार	वार्ड नं 01 में पुष्पा मौर्या के मकान से समसुहुदा के मकान तक इण्टरलॉकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	8.052
2	देवरिया	म0ब0–83	न0पा0प0 गौरा बाजार	वार्ड न0 01 में पिच मार्ग से लार्ड अकेडमी स्कूल के गेट तक इण्टरलॉकिंग रोड निर्माण कार्य।	13.879
3	देवरिया	म0ब0–83	न0पा0प0 गौरा बाजार	वार्ड नं0 01 आजाद नगर में कुंवर प्रसाद के मकान से हरिजन बस्ती तक इण्टरलॉकिंग रोड निर्माण कार्य।	4.404
4	देवरिया	म0ब0–83	न0पा0प0 गौरा बाजार	वार्ड नं0 01 आजाद नगर में लक्ष्मीनारायण गुप्ता जी के मकान से मुर्गी फार्म होते हुए हरिवंश के मकान तक इण्टरलॉकिंग रोड निर्माण कार्य।	20.490
5	देवरिया	म0ब0–83	न0पा0प0 गौरा बाजार	वार्ड नं0 01 आजाद नगर में सोनमती के मकान से हरिजन बस्ती तक इण्टरलॉकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	14.618
6	देवरिया	म0ब0–83	न0पा0प0 गौरा बाजार	वार्ड नं0 01 आजाद नगर में गिरी जी के मकान से हरिजन बस्ती तक इण्टरलॉकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	14.600
7	देवरिया	म0ब0–83	न0पा0प0 गौरा बाजार	वार्ड नं0 01 आजाद नगर में हाटा मुख्य मार्ग से एक्सीलेंट सीनियर सेकेंड्री स्कूल के आगे तक इण्टरलॉकिंग रोड निर्माण कार्य।	2.980
8	देवरिया	म0ब0–83	न0पा0प0 देवरिया	वार्ड न0 05 गायत्री पुरम वार्ड में संजय मल्ल के मकान से उमेश, प्रदीप, एवं राजेश गुप्ता के मकान होते हुए डॉ शेषनाथ के मकान तक इण्टरलॉकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	25.339

(359/2)

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0

7/23, सेक्टर–7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ–226027
Website-sudaup.org

क्र0सं0	जनपद का नाम	अनुदान संख्या	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण (प्रथम किश्त)
9	देवरिया	म0ब0–83	न0पा0प0 देवरिया	वार्ड न0 05 सोमनाथ वार्ड में हाटा मेन रोड पर रसम सकल के मकान से बच्चा सिंह व रामसकल के मकान होते हुए बसंत सही के मकान तक इण्टरलॉकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	14.805
10	देवरिया	म0ब0–83	न0पा0प0 देवरिया	वार्ड नं0 05 सोमनाथ नगर वार्ड में गोरखपुर मेन रोड से प्रदुमन मणि के मकान तक इण्टरलॉकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	15.614
11	देवरिया	म0ब0–83	न0पा0प0 देवरिया	वार्ड नं0 05 सोमनाथ नगर वार्ड में गोराखपुर रोड पर सुबास चौहान के मकान से राम सकल यादव व शहाबुद्दीन के मकान होते हुए मनीष इंटरप्राइजेज तक इण्टरलॉकिग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	17.162
12	देवरिया	म0ब0–83	न0पा0प0 देवरिया	वार्ड नं0 22 उमा नगर में कमला यादव के मकान से कलिका चौहान दारा सिंह ,सुरेश बरनवाल के मकान होते हुए जयप्रकाश के मकान तक साइड नाली एवं इण्टरलॉकिंग रोड निर्माण कार्य।	22.545
13	देवरिया	म0ब0–83	न0पा0प0 देवरिया	वार्ड नं0 22 उमा नगर उत्तरी मे विजय शंकर पाण्डेय से अरूण मिश्रा के मकान होते हुए मन्टू मिश्रा के मकान तक नाली एवं इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	6.139
14	देवरिया	म0ब0–83	न0पा0प0 देवरिया	वार्ड नं0 22 उमा नगर उत्तरी मे मिथिलेश दुबे के मकान से सुधीर श्रीवास्तव के मकान होते हुए रीना शर्मा के मकान तक नाली एवं इण्टरलॉकिग रोड निर्माण कार्य।	7.829
15	देवरिया	म0ब0–83	न0पा0प0 देवरिया	वार्ड नं0 22 उमा नगर में जय राम कुशवाहा के मकान से गिरजा शंकर यादव एवं रमेश कुशवाहा के मकान होते हुए इण्टरलॉकिंग रोड निर्माण कार्य।	13.879
16	देवरिया	म0ब0–83	न0पा0प0 देवरिया	वार्ड नं0 22 उमा नगर में आनंदी यादव के मकान से बच्चा कुशवाहा, रामबल्ली कुशवाहा एवं शंकर यादव के मकान होते हुए के0पी0 चौधरी के मकान तक इण्टरलॉकिग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	22.323
17	देवरिया	म0ब0–83	न0पा0प0 देवरिया	वार्ड नं0 05 मो0 सोमनाथ नगर में जितेन्द्र के मकान से प्रमोद, अजय एवं चंद्रभान के मकान होते हुए देवी प्रसाद के मकान तक इण्टरलॉकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	18.497
18	देवरिया	म0ब0–83	न0पा0प0 देवरिया	वार्ड नं0 05 मो0 सोमनाथ नगर में डाक्टर अतुल श्रीवास्तव के मकान से जितेन्द्र, चंडी सिंह, रामानंद यादव के मकान होते हुए रामकांत यादव के मकान तक इण्टरलॉकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	20.534
19	देवरिया	म0ब0–83	न0पा0प0 देवरिया	वार्ड नं0 05 मो0 सोमनाथ नगर में कसया बाईपास रोड से जुनिया स्कूल तक इण्टरलॉकिंग रोड निर्माण कार्य।	7.311
	योग				**271.00**

(35-9/3)

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0

7/23, सेक्टर–7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ–226027
Website-sudaup.org

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:–

1– उ0प्र0 सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना हेतु स्वीकृत डी0पी0आर0/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।

2– स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।

3– प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।

4– अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नही की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरूपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

5– स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता/पुरातत्व विभाग आदि के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।

6– प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।

7– परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख–रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।

8– योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2018–19 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नही प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।

9– उक्त धनराशि डूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तो/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।

10– प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्त्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

11– अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यो में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसका भुगतान न करते हुये उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्ति करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।

(359/4)

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0

7/23, सेक्टर–7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ–226027
Website-sudaup.org

12– शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(साजिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक

<u>पत्रांक एवं दिनांक तदैव</u>
प्रतिलिपि :निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक/परि0 अधि0, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. कार्यकम अधिकारी, सूडा।
3. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग–सूडा।

(साजिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक